न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/10/2017	27–02–2017	22–04–2019

1– अजीत सिंह पुत्र उम्मेद सिंह जाति जाट निवासी ग्राम जाट बहरोड़ तहसील मुण्डावर, जिला अलवर राज0

–अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार मुण्डावर का निर्णय दिनांक 17.02.2017 नामान्तकरण संख्या 1853 ग्राम जाट बहरोड़ तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

उपस्थित:–

01. श्री जयकृष्ण गुप्ता –वकील अपीलान्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के आदेश दिनांक 17.02.2017 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 1853 ग्राम जाट बहरोड़ तहसील मुण्डावर, जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार मुण्डावर ने उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर को एक प्रा0पत्र पेश कर कथन किया कि खसरा नम्बर 1787/47 रकबा 1.52 है0 पर बिना रूपांतरण कराये ईंट भट्टा चल रहा है। उक्त प्रा0पत्र को उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए हमारे विरूद्ध बेदखली की आज्ञा पारित की गई। उक्त आज्ञा के विरूद्ध दिनांक 17.02.2017 को माननीय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर द्वारा निर्णय दिनांक 03.02.2017 का प्रचलन स्थगित रखने की आज्ञा दी। मिन अपीलांट द्वारा उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार साहब के समक्ष पेश की गई किन्तु आदेश की नकल लेने से मना कर दिया और बावजूद स्थगन के इंतकाल स्वीकार कर दिया। शिव ब्रिक्स ईंट भट्टा का प्रोपराईटर अपीलांट अजीत सिंह है। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा हमने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, जिसका सर्टिफिकेट अजीत सिंह के हक में जारी किया हुआ है। नकल संलग्न है। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास द्वारा दिनांक 03.05.2000 को अजीत सिंह की आराजी खसरा नम्बर 47 में से 7858 वर्ग मीटर का रूपांतरण किया जा चुका है। जब एक बार रूपांतरण का आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वारा कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में उक्त आराजी कृषि भूमि नहीं रही और इस भूमि पर अपीलांट अजीत सिंह का ईंट भट्टा रखने का कानूनन अधिकार है, किन्तु तहसीलदार मुण्डावर द्वारा राजनैतिक प्रभाव में आकर यह कार्यवाही की गई है। अपीलांट अजीत सिंह द्वारा भूमि रूपांतरण की शुल्क की राशि रू0 2858/– दिनांक 03.11.1999 को व रू0 5000/– दिनांक 01.10.1999 को जमा कराये गये है। खनिज अभियंता द्वारा दिनांक 18.01.2017 को अपीलांट के हक में अनुमति आदेश जारी किया गया है और 15 मीटर तक का मिट्‌टी उठाने का अधिकार दिया है। अपीलांट अजीत सिंह आराजी खसरा नम्बर 1787/47 की भूमि का स्वंय मालिक है और जो व्यक्ति स्वंय मालिक होता है उसके हक में पूर्ण रूप से भूमि रूपांतरण का आदेश दिया जाना माना जाता है। दिनांक 03.05.2000 के पैरा संख्या 12 में जो अस्थाई रूप से 5 साल के लिए भू रूपांतरण होने बाबत बताया गया है वह मुझ पर लागू नहीं होता है। क्योंकि मैं स्वंय खातेदार हूं और मैंने मेरी भूमि का स्वंय भू–रूपांतरण कराया है। नियम 12 उन लोगों पर लागू होता है जो स्वंय खातेदार ना होकर किसी दीगर व्यक्ति की भूमि लीज पर अस्थाई रूप से लेकर ईंट उद्योग लगाते है। मेरे इस भूमि रूपांतरण आदेश के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

नियम 9 के सामने साफ शब्दों में “नही” शब्द अंकित है। अतः मेरा भूमि रूपांतरण आदेश स्थाई है। क्योंकि खनन विभाग में हर साल 3 लाख रूपये जमा कराई जा रही है। वह इस स्थाई आदेश के तहत जमा कर मुझे खनन की अनुमति नवीनीकरण की जाती है। इस साल भी दिनांक 18.01.2017 से एक साल के लिए राजस्व राशि जमा कराकर मुझे 1.5 मीटर तक खुदाई की अनुमति प्रदान की गई। अजीत सिंह ने शिव ब्रिक्स के कारोबार की लीज जुगल किशोर पुत्र लल्लूराम निवासी झिवाणा तहसील तिजारा के हक में दिनांक 26.12.2016 को तहसीलदार कार्यालय मुण्डावर में लीज कराई थी। शिव ब्रिक्स के नाम से जो ईंट भट्टा चलाया जा रहा है। यदि वह गैरकानूनी होता तो तहसीलदार मुण्डावर इस लीज को स्वीकृत नहीं करते। लीज करते समय तहसीलदार मुण्डावर द्वारा मेरे भट्टे के सभी मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही वैध दस्तावेज मानते हुए लीज जुगल किशोर के हक में स्वीकृत की गई थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर विचाराधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि विचाराधीन इंतकाल दर्ज व स्वीकार दिनांक 07.02.2017 के उपरांत अपीलांट द्वारा न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के यहां अपील दायर की गई। जिसमें उक्त अपील को रिमांड किया गया। रिमांड उपरांत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर द्वारा दिनांक 13.12.2018 को निर्णय पारित करते हुए तहसीलदार मुण्डावर का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट अस्वीकार कर खारिज किया गया है।

अतः अपील अपीलाण्ट तहसीलदार मुण्डावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के निर्णय दिनांक 13.12.2018 की रोशनी में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक **22–04–2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/4/19

(भगवतसिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)